

पत्र संख्या: ५९२१ / नौएडा / वि०वि० / २०२४

दिनांक ०२/०९/२०२४

प्रेषक,

रविन्द्र प्रसाद गुप्ता
मुख्य विधि सलाहकार
नौएडा, गौतमबुद्धनगर

सेवा में,

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद (प्रयागराज)।

द्वारा :- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा ।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र सं० ९६९१ / IV-F-82(Pention)/Admin(A) दिनांकित १६ जुलाई २०२४ तथा शासनादेश संख्या -१४/२०२४/सा-३-२४३ / दस-२०२४ / ३०१(१)२०२४ दिनांकित २८ जून २०२४ एवं सहपठित शासनादेश सं०-२० / २०२४ / सा-३-२७६ / X-२०२४ / ३०१(१)२०२४ दिनांकित ११-०७-२०२४ के अन्तर्गत पुरानी पेशन हेतु विकल्प का चयन के सम्बन्ध में।

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांकित २६ मई २००६ (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-४) विज्ञप्ति संख्या-२४३०/दो-०४-०६- ३२ (१)/२००१ टी०सी०-१ के द्वारा मेरा चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ था। तदक्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा जारी विज्ञप्ति सं० ११९८/DR(S)२००६ दिनांकित १३-०६-२००६ के अनुपालन में दिनांक १५.०६.२००६ को बतौर महानगर मजिस्ट्रेट कानपुर नगर के पद पर मेरे द्वारा सेवा में योगदान दिया गया। इस प्रकार शासनादेश संख्या -१४/२०२४/सा-३-२४३ / दस-२०२४ / ३०१(१)२०२४ दिनांकित २८ जून २०२४ एवं सहपठित शासनादेश सं०-२० / २०२४ / सा-३-२७६ / X-२०२४/३०१(१)२०२४ दिनांकित ११-०७-२०२४ के अनुक्रम में पुरानी पेशन योजना से आच्छादित है तथा अद्योहस्ताक्षरी पुरानी पेशन योजना के विकल्प का चयन करता है।


अतः अद्योहस्ताक्षरी शासनादेश संख्या-१४ / २०२४ / सा-३-२४३ / दस-२०२४ / ३०१(१) / २०२४ दिनांकित २८ जून २०२४ के अन्तर्गत मैं पुरानी पेशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। उक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या २० / २०२४ / सा-३-२७६ / दस-२०२४ / ३०१(१) / २०२४ दिनांक ११ जुलाई, २०२४ का विकल्प पत्र संलग्न किया जा रहा है।


अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें।

दिनांक ०२.०९.२०२४

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

संस्तुति सहित अग्रसारित


(डॉ. लोकेश एम०)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा, गौतमबुद्धनगर
Chief Executive Officer
NOIDA

भवदीय

(रविन्द्र प्रसाद गुप्ता)
मुख्य विधि सलाहकार(अपर जिला जज)
नौएडा, गौतमबुद्धनगर
(आई०डी० न०-UP-६४१९)

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का
संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम : रविन्द्र प्रसाद गुप्ता
2. वर्तमान पदनाम : मुख्य विधिक सलाहकार
3. वेतनमान : 1,44,840 - 1,94,660
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के आधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम
उ०प्र० शासन, नियुक्ति अनुभाग-4(माध्यम लोक सेवा आयोग, उ०प्र०)
6. विज्ञापित की तिथि : 22.11.2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 13.06.2006(संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1 उ०प्र०
शासन नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि : 15.06.2006
9. जन्म तिथि : 11.07.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.07.2033

मैं रविन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व० श्री राजा राम गुप्ता शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस
-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने को विकल्प देता
हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-.....

नाम- रविन्द्र प्रसाद गुप्ता

पदनाम- मुख्य विधिक सलाहकार, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

दिनांक-.....

घोषणा पत्र

मैं रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, पदनाम-मुख्य विधिक सलाहकार, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त
क्रम संख्या - 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गयी
है।

हस्ताक्षर-.....

नाम- रविन्द्र प्रसाद गुप्ता


पदनाम- मुख्य विधिक सलाहकार, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)

दिनांक-.....

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, पदनाम-मुख्य विधिक सलाहकार, नौएडा, गौतमबुद्धनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग के संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है ।

दिनांक:-02.09.2024


(डॉ. लोकेश एम0)
मुख्य कार्यालयक अधिकारी
नौएडा, (गौतमबुद्धनगर)
Chief Executive Officer
NOIDA